[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 20/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 28 मार्च, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)–सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम बार संशोधन सा0का0नि0 सं0 266(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 14/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए शर्तें और निबंधन अधिकथित किए हैं ;

उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(रुची बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार